राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांकः 14 अक्टूबर, 2022

<u>आदेश</u>

भारत निर्वाचन आयोग ने **हरियाणा** राज्य में आदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप चुनाव के लिए दिनांक 03.11.2022 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया है।

अतः लोक प्रतिनिधित्व **अधिनियम, 1951 की धारा 135—ग** के प्रावधानानुसार **हरियाणा** राज्य के **हिसार** जिले से लगते हुए राजस्थान राज्य के **हनुमानगढ** जिले की सीमाओं के 3 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 01.11.2022 मध्यान्ह् पश्चात 06.00 बजे से मतदान समाप्ति दिनांक 03.11.2022 को 06.00 बजे तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 06.11.2022 को एवं पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान के दिन भी "**सूखा दिवस**" घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(22) निर्वा. /2018/3951 दिनांक 12.10.2022 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, बीकानेर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, हनुमानगढ।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव